फर्द अहकाम

(नियम 26)

2025/244

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री रायचन्द निवासी जैन धर्मशाला के पास सिरोही रोड तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 38 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म — **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज**

01.09.2025

अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 24.07.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पत्र क्रमांकःप.33()विविध/सतर्कता/09/693-94 दिनांक 08.06.2009 को जारी किया गया था। उक्त पत्र में अंकित बिन्दुओं की सूचना की प्रमाणित प्रति एवं उक्त पत्र पर की गई जांच की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 24.07.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पत्र क्रमांक : प 33 ( ) विविध/सतर्कता/09/693-94 दिनांक 08.06.2009 को जारी किया गया था। उक्त पत्र मे अंकित बिन्दुओं की सूचना की प्रमाणित प्रति एव उक्त पत्र पर की गई जांच की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2025/145 दिनांक 29.07.2025 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही